प्रकाशनार्थ

पटना, 9 मार्च। आज आद्री स्थित सेंटर फॉर हेल्थ पॉलिसी (सीएचपी) के द्वारा बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग, राज्य मानव संसाधन आयोग और बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के साथ मिलकर ''बिहार में मानसिक स्वास्थ्य देखरेख में वृद्धि हेतु साझेदारी'' विषय पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया।

बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडेय ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि स्वास्थ्य देखरेख संबंधी भावी प्राथमिकताओं के मामले में सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए बिहार सरकार को अपनी खुद की स्वास्थ्य नीति विकसित करने की जरूरत है - ऐसी स्वास्थ्य नीति, जो मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के लिए भी समावेशी हो। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पहले हुई चर्चा के अनुरूप, वह ऐसी नीति विकसित करने के लिए सेंटर फॉर हेल्थ पॉलिसी (सीएचपी), आद्री द्वारा दिए गए सुझावों पर भरोसा करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य के भावी विकास के लिए स्वस्थ 'मानुष' (मानव संसाधन) और स्वस्थ 'मन' (मानसिक स्वास्थ्य) की जरूरतों को भी रेखांकित किया। अपने स्वागत भाषण में सेंटर फॉर हेल्थ पॉलिसी (सीएचपी), आद्री के निदेशक प्रोफेसर प्रभात पी. घोष ने सरकार और न्यायपालिका द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी हस्तक्षेपों में तेजी लाने की जरूरत पर बल दिया। न्यायमूर्ति समरेंद्र प्रताप सिंह ने बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा किए जा रहे मानसिक स्वास्थ्य हेतु कानूनी सहायता संबंधी कार्यों का प्रमुखता से उल्लेख किया।

पहले तकनीकी सत्र में निमहैंस, बंगलोर के मनोचिकित्सा के प्रोफेसर, प्रो. सुरेश बड़ा मथ ने मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम 2017 के क्रियान्वयन के लिए नवाचारी समाधानों के बारे में अपनी बातें रखीं। उन्होंने बताया कि अब मानसिक रोगों की व्यापकता के अनुमान के लिए किसी नए अध्ययन की जरूरत नहीं है। इसलिए कि निमहैंस द्वारा किए गए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण में देश में मानसिक रोगों की उच्च व्याप्ति की बात पहले ही सामने आ चुकी है जिसके अभी लगभग 10 प्रतिशत होने का अनुमान है। उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए तकनीकी नवाचारों का उपयोग करने की जरूरत पर भी बल दिया। इस सत्र की अध्यक्षता राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी (मानसिक रोग) डा. एन.के. सिन्हा ने किया।

दूसरे सत्र में 'राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के सुदृढ़ीकरण की विधियां' पर चर्चा की गई। इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना के मनोचिकित्सा विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. राजेश कुमार ने संबंधित अधिकारियों द्वारा तत्काल क्रियान्वयन के लिए इनमें से कुछ विधियों के बारे में जानकारी दी। सत्र की अध्यक्षता कर रही बिहार सरकार की राज्य स्वास्थ्य समिति की अपर कार्यकारी निदेशक डॉ. करुणा कुमारी ने कहा कि राज्य सरकार किशोरावस्था वाली आबादी की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों पर अपना ध्यान केंद्रित करेगी।

तीसरे सत्र में आइएलएस, पुणे स्थित सेंटर फॉर मेंटल हेल्थ लॉ एंड पॉलिसी के निदेशक डॉ. सौमित्र पठारे ने ''आत्मीयता'' नामक परियोजना के कार्यों पर एक प्रस्तुति दी। इस परियोजना का लक्ष्य मानसिक विकारों से ग्रस्त लोगों को मौजूदा मानसिक स्वास्थ्य देखरेख सेवाओं के साथ जोड़ने और उनके परिवार वालों को सहयोग देने तथा संभालने के कौशल उपलब्ध कराने के लिए स्वयं सहायता समूहों के प्रशिक्षण के जरिए समुदाय को गोलबंद करना है।

चौथे सत्र में द बैन्यन और द बैन्यन एकेडमी ऑफ लीडरशिप इन मेंटल हेल्थ के निदेशक डॉ. के.वी. किशोर कुमार ने मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से ग्रस्त लोगों के लिए उत्तरवर्ती देखरेख सेवाओं (पुनर्वास एवं पुन:संयोजन) की तत्काल स्थापना की आवश्यकता पर बल दिया। सत्र की अध्यक्षता कर रहे बिहार राज्य नि:शक्तता आयोग के आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने जोर देकर कहा कि लोगों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों की पूर्ति के लिए समाज कल्याण संस्थानों को लोक स्वास्थ्य संस्थानों के साथ समेकित करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

सेंटर फॉर हेल्थ पॉलिसी (सीएचपी), आद्री की लीगल स्पेशलिस्ट सुश्री अपूर्वा सृष्टि ने धन्यवाद ज्ञापन किया और इस क्षेत्र में काम करने की सेंटर फॉर हेल्थ पॉलिसी (सीएचपी) की प्रतिबद्धता को दुहराया।

(अंजनी कुमार वर्मा)

ADRI, BSIDC Colony, Off-Boring Patliputra Road, Patna, Bihar, India 800 013, Phone : +91-612-2575649, Extn :- 239 Email : chp@adriindia.org